



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012022-232979
CG-DL-E-29012022-232979

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360]
No. 360]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 28, 2022/माघ 8, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 28, 2022/MAGHA 8, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2022

का.आ. 368(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2235(अ) तारीख 9 जून 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में दिल्ली लुधियाना अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे (NH No. NE5) किमी 3+800 से किमी 7+300 तक, मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-144A, के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "दिनांक 16 जून 2021" को "डेली एक्सेलसियर" और "अमर उजाला" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-144A के साथ दिल्ली लुधियाना अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे (NH No. NE5) के किमी 3+800 से किमी 7+300 तक के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि, संरचना सहित अथवा संरचना रहित, का विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: जम्मू		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बाहु				
	गांव का नाम: चक जल्लो				
1	243	निजी	गैर कृषि	0.0759	सवर्ण सिंह और अन्य बशर नंबर 21/1 मकबूजा मिलिट्री (243)
2	246	निजी	गैर कृषि	0.0152	मकबूजा शमशेर सिंह पुत्र नाथा सिंह वासी देह वेंडी म्युटेशन नंबर-799 (246)
3	251	सरकारी	गैर कृषि	0.0126	सरकार , पीडब्ल्यूडी विभाग (251)
4	252	निजी	गैर कृषि	0.0329	शामलात देह शमशेर सिंह, भारत सिंह, जसवंत सिंह, अर्जन सिंह शेयर होल्डर्स बराबर शेयर (252)
5	255	निजी	गैर कृषि	0.215	उत्सव चौधरी पुत्र चरण चौधरी वासी मोके पे 505/5 नानक नगर जम्मू, वेंडी म्युटेशन नंबर 573,576 काश्तकार - विवादित क्षेत्र (255)

6	256	निजी	गैर कृषि	0.0228	गंधर्व सिंह पुत्र मलूक सिंह राजपूत वासी बस्सी कलं वर्तमान में बीरपुर तहसील-साम्बा काश्तकार__ (256)
7	256/1	निजी	गैर कृषि	0.0152	अजय कुमार, भारत महाजन, विशाल महाजन बराबर 214 कनाल, संजय महाजन १०५ कनाल -10 मरला पुत्र विजय महाजन, क्रांति महाजन पुत्र अशोक कुमार 70 कनाल -5 मरला जंग बहादर महाजन पुत्र विजय महाजन 70 कनाल -5 मरला, अजित महाजन पुत्र चन्दर शेखर महाजन, सुनील चौधरी, सुरिंदर नाथ पुत्र जोगिन्दर लाल बराबर 140 कनाल -5 मरला अशोक कुमार, चन्दर शेखर पुत्र गणेश दस 70 कनाल -5 मरला वासी जम्मू गंधर्व सिंह पुत्र मलूक सिंह वासी बस्सी कल्लन तहसील-साम्बा अवैध कब्जा (256/1)
8	298	निजी	गैर कृषि	0.0253	शामलात देह मकबूजा सुरेश कुमार पुत्र पूर्ण चाँद वासी शिधि चौक, जम्मू 3 कनाल, सुरेश चरक वासी चैन सिंह, तेज़ सिंह पुत्र जगदेव सिंह विजय सिंह पुत्र बलदेव सिंह बराबर हिस्सा 5 कनाल-15 मरला वेण्डीस वासी देह म्युटेशन नंबर 150ज, 151ज, 152ज. काश्तकार - काश्तकार का मोके पर कब्जा नहीं है (298)
9	299	निजी	गैर कृषि	0.015	शामलात देह मकबूजा मिलिट्री (299)
10	300	निजी	गैर कृषि	0.044	शामलात देह मकबूजा मिलिट्री (300)
तालुक का नाम: जम्मू साउथ					
गांव का नाम: सतवारी					
1	294	निजी	गैर कृषि	0.0063	भगत रेम् एस्/ओ रघुनाथ, दर्शन, एसएमटी. परमेश्वरी विडो ईशार डेस् ब्राह्मण आर्/ओ देह कल्टीवेटर- रुमाल

					सिन् ऍस्/ओ नंद सिन् गोरखा आर्/ओ देह मरोसी औकपैस टैनन्ट सैक्षन्-4, सब सैक्षन्-1 मकबूजा जंगी (294)
2	296	निजी	गैर कृषि	0.0417	जौहर सिंह पुत्र जय सिंह खत्री वासी जम्मू काश्तकार- मकबूजा जंगी विभाग (296)
3	301	निजी	गैर कृषि	0.0658	जौहर सिंह पुत्र जय सिंह खत्री वासी जम्मू काश्तकार- मकबूजा जंगी विभाग (301)
4	302	निजी	गैर कृषि	0.0063	भगत राम और अन्य काश्तकार- जौहर सिंह पुत्र जय सिंह खत्री वासी जम्मू अधिभोग किरायेदार अनुभाग-4, उप-अनुभाग-1 मकबूजा जंगी (302)
5	303	निजी	गैर कृषि	0.1024	भगत राम और अन्य काश्तकार- जौहर सिंह पुत्र जय सिंह खत्री वासी जम्मू अधिभोग किरायेदार अनुभाग-4, उप-अनुभाग-1 मकबूजा जंगी (303)
6	304	निजी	गैर कृषि	0.011	दीना धनिया, इलम दिन, काला, साई पुत्र खुदा यार गुज्जर वासी देह बराबर हिस्सा संरक्षक के माध्यम से अस्पष्ट जम्मू काश्तकार- मकबूजा जंगी विभाग (304)
			कुल	0.7074	

[फा. सं. NHAI/PIU/Jammu/DPR-Satwari/0001/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th January, 2022

S.O. 368(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 2235(E) Dated 9 June 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of

Delhi Ludhiana Amritsar Katra Expressway (NH No. NE5) from Km 3+800 to Km 7+300 along the existing NH-144A in the district JAMMU in the UT of Jammu and Kashmir.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Daily Excelsior**” and “**Amar Ujala**” both **dated 16 June 2021**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for construction, operation & maintenance of Delhi Ludhiana Amritsar Katra Expressway (NH No. NE5) from km 3+800 to km 7+300 along the existing NH-144A in the district of Jammu in the UT of J&K

State: JAMMU & KASHMIR			District: JAMMU		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bahu				
	Village: Chak Jallo				
1	243	Private	Non Agriculture	0.0759	Sawaran Singh & Others Bashara No. 21/1 Makbooja Military 243
2	246	Private	Non Agriculture	0.0152	Makbooja Shamsher Singh S/o Natha Singh R/o Deh Vendee Vide Mutation Number 799 246
3	251	Government	Non Agriculture	0.0126	Government , PWD Department 251
4	252	Private	Non Agriculture	0.0329	Shamlat Deh Shamsher Singh, Bharat Singh , Jaswant singh, Arjan Singh Share Holders Equal Share 252
5	255	Private	Non Agriculture	0.215	Utsav Choudhary S/o Charan Choudhary R/o At Present 505/5 Nanak Nagar Jammu, Vendee Vide Mutation Number 573,576 Spot Possession-Area Disputed 255

6	256	Private	Non Agriculture	0.0228	Gandrav Singh S/o Maluk Singh Rajpoot R/o Bassi Kallan At Present Birpur Tehsil-Samba Cultivated__ 256
7	256/1	Private	Non Agriculture	0.0152	Ajay Kumar, Bharat Mahajan, Vishal Mahajan Equal 214 Kanal, Sanjay Mahajan 105-10M S/o Vijay Mahajan, Kranti Mahajan S/o ashok Kumar 70K- 5M Jang Bahadar Mahajan S/o Vijay Mahajan 70K-5M, Ait Mahajan S/o Chandar Shekhar Mahajan, Sunil Choudhary, Surinder Nath Sons of Joginder Lal Equal 140K-5M Ashok Kumar, Chander Shekhar Sons of Ganesh Das 70K-5M R/o Jammu. Gandrav Singh S/o Maluk Singh R/o Bassi Kallan Tehsil-Samba Illegal Occupant 256/1
8	298	Private	Non Agriculture	0.0253	Shamlat Deh Makbooja Suresh Kumar S/o Pooran Chand R/o Shidhi Chowk, Jammu 3Kanal, Suresh Charak S/o Chain Singh, Tez Singh S/o Jagdev Singh Vijay Singh S/o Ba;dev Singh Equal share 5K-15M Vendees R/o Deh. Vide Mutation Number 150J,151J,152J. Cultivator- Possession Of Cultivator Does not exist on spot 298
9	299	Private	Non Agriculture	0.015	Shamlaet Deh Makbooja Military 299
10	300	Private	Non Agriculture	0.044	Shamlaet Deh Makbooja Military 300
	Taluk: Jammu South				
	Village: Satwari				
1	294	Private	Non Agriculture	0.0063	Bhagat Ram S/o Raghunath, Darshan, Smt. Parmeshwri Widow Ishar das Brahman R/o Deh Cultivator- Rumal Singh S/o Nand Singh Gorkha R/o deh Marossi Occupance Tenant Section-4, Sub Section-1 Makbooja Jangi 294
2	296	Private	Non Agriculture	0.0417	Jawhar Singh S/o Jai Singh Khatri R/o Jammu Cultivator- Makbooja Jangi Department 296
3	301	Private	Non Agriculture	0.0658	Jawhar Singh S/o Jai Singh Khatri R/o Jammu Cultivator- Makbooja Jangi Department 301

4	302	Private	Non Agriculture	0.0063	Bhagat Ram & Others Cultivator- Jawhar Singh S/o Jai Singh Khatri R/o Jammu Occupance Tenant Section-4, Sub Section-1 Makbooja Jangi 302
5	303	Private	Non Agriculture	0.1024	Bhagat Ram & Others Cultivator- Jawhar Singh S/o Jai Singh Khatri R/o Jammu Occupance Tenant Section-4, Sub Section-1 Makbooja Jangi 303
6	304	Private	Non Agriculture	0.011	Deena Dhaniya, Ilam Din, Kala, Sai Sons Khuda Yaar Ghujjar R/o Deh Equal Share vague through custodian Jammu Cultivator- Makbooja Jangi Department 304
			TOTAL	0.7074	

[F. No. NHAI/PIU/Jammu/DPR-Satwari/0001/3D]

RAJESH GUPTA, Director